

उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर

B/6992

// आदेश //


क्रमांक..... / चार-12-14 / 10

जबलपुर, दिनांक 17 / 11 / 2021

श्री लीलाधर सोलंकी, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 839/गोपनीय/2021 दिनांक 01 सितम्बर, 2021 द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायीकरण संबंधी का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के फलस्वरूप एंट्री वेतनमान रूपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में तथा रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 926/गोपनीय/2021 दिनांक 27 सितम्बर, 2021 द्वारा जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड)(Selection Grade Scale) के वेतनमान रू0 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में नियुक्त किये जाने तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 2446/21-ब(एक) दिनांक 15.04.2019 द्वारा चयन ग्रेड वेतनमान रूपये 57700-70290/- में वेतन निर्धारण के संबंध में प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

उच्च न्यायिक सेवा के एंट्री वेतनमान रू0 51550-1230-58930-1380-63070/- में नियुक्ति का दिनांक	प्राप्त वेतन	वेतनवृद्धि का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1	2	3	4	5
06.04.2015	51550.00	06.04.2016 06.04.2017 06.04.2018 06.04.2019 06.04.2020	52780.00 54010.00 55240.00 56470.00 57700.00	01.04.2016 01.04.2017 01.04.2018 01.04.2019 01.04.2020
रजिस्ट्री आदेश क्र. 926 दि. 27 सितम्बर, 2021 द्वारा चयन ग्रेड वेतनमान रू. 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290 /- में दिनांक 06.04.2020 से प्रदान किये जाने के फलस्वरूप।			58930.00	06.04.2020
		06.04.2021	60310.00	01.04.2021

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,



(अजय पवार)

रजिस्ट्रार(एम)
जबलपुर, दिनांक..... / 11 / 2021

पृष्ठांकन क्रमांक B/6993 / चार-12-14 / 10
प्रतिलिपि:-

1. प्रधाप जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर/उज्जैन/टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. श्री लीलाधर सोलंकी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।


रजिस्ट्रार (एम)
OK